न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 89/2015

1 रामचन्द्र पुत्र सूरजाराम जाति जाट निवासी बेरी तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 झाबरमल पुत्र भोमाराम सैनी जाति माली निवासी ढ़ाणी मोबाजी वाली तन झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 रामेश्वर पुत्र आशाराम।
2/1 श्रीमती मनकोरी पत्नी रामेश्वर।
2/2 रणवीर पुत्र रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासीगण बेरी तहसील व जिला सीकर।
2/3 सुमित्रा पुत्री रामेश्वर पत्नी दयाराम।
2/4 श्रीमती सोहनी पुत्री रामेश्वर पत्नी हरीराम समस्त जाति जाट निवासीगण कटराथल तहसील व जिला सीकर।
3 तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय दिनांक 03.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बमुकदमा डनवानी झाबरमल बनाम रामेश्वर वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का संशोधन अधिनियम 2010 मुकदमा नम्बर 05/2012

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राज. झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री महीपाल सिंह कपुरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—8-5-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 05/2012 में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने धारा 251 ए का आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं की भूमि खसरा नं. 298 वाके ग्राम झाझड़ में आवागमन हेतु अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 301, 304 की पश्चिमी सींव के सहारे—सहारे 20 फुट चौड़े रास्ते की मांग की है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय दिनांक 03.07.2015 को पारित किया गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 रामेश्वर की मृत्यु 18.03.2015 को हो चुकी थी। विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय में आवेदनकर्ता द्वारा खसरा नम्बर 301 व 304 से रास्ता चाहा गया है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 2037/301 से रास्ता दिया गया हैं। मौका रिपार्ट में वैकल्पिक रास्ता चालू बताया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना अपीलांट की उपस्थिति में मौका

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
अपील

इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया है। मौका रिपार्ट में वैकल्पिक रास्ता चालू बताया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना अपीलांट की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया हैं। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि धारा 251 ए में संक्षिप्त कार्यवाही होती है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज पक्षकार के विरूद्ध मौका रिपोर्ट प्राप्त कर वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। आवेदन प्रस्तुत करने के समय खसरा नम्बर 301 व 304 ही थे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने उपरांत खसरा नम्बर परिवर्तित हुए है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। निर्णय की पालना हो चुकी है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन निर्णय दिनांक 03.07.2015 को पारित किया गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 रामेश्वर की मृत्यु 18.03.2015 को हो चुकी थी। विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय में आवेदनकर्ता द्वारा खसरा नम्बर 301 व 304 से रास्ता चाहा गया है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 2037/301 से रास्ता दिया गया हैं। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की दूरी 173 मीटर है जबकि मौके पर चालू वैकल्पिक रास्ते की दूरी 119 मीटर है। विचारण न्यायलाय ने इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया है। मौका रिपार्ट में वैकल्पिक रास्ता चालू बताया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना अपीलांट की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया हैं। ऐसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर मृत व्यक्ति के विधिक वारिसान को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.05.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 8-5-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर